

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Or

Order or pre

Date of
Order or
Proceeding

20/02/2017

01:45

To

02:00 p.m

आवेदक सर्वेश्वरदयाल द्वारा श्री अशोक सिंह राणा अधिवक्ता
अनावेदक द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी।
अनावेदक अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा-451 जा.फौ. का लिखित जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया।

उभयपक्ष को धारा-451 जा.फौ. सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र पर सुना गया।

आवेदन पत्र पर विचार किया अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक सर्वेश्वरदयाल की ओर से श्री राणा अधिवक्ता ने जब्तशुदा मोटर साइकिल रजि. क्र.-एम.पी.-30 एम.ई.-3079 का पंजीकृत स्वामी होने से सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया। अपने आवेदनपत्र के समर्थन में उसने मोटरसाइकिल का मूल रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया है।

जिनका कोई विरोध नहीं करते हुए ए.जी.पी. ने उक्त मोबाइल आवेदक की सुपुर्दगी पर दिये जाने पर सहमति प्रकट की।

मूल अभिलेख के अवलोकन से थाना गोहद द्वारा अपराध क्रमांक 334/16 धारा 394, 34 भादवि. सहपठित 11, 13 एम.पी.डी.बी.पी.के. एक्ट में मोटरसाइकिल जप्त होना पाया जाता है।

आवेदक द्वारा जिस मोटरसाइकिल को सुपुर्दगी पर चाहा गया है, वह आरोपी से जब्त हुई है। जिसके जब्ती पत्रक में उल्लेखित इंजन नंबर व चेसिस नंबर का मिलान आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल रजिस्ट्रेशन से करने पर आवेदक ही उक्त मोटरसाइकिल का स्वामी होना प्रतीत होता है, मोबाइल के थाना परिसर में रखे रहने से उसमें आने वाली यांत्रिक खराबी से इंकार नहीं किया जा सकता है एवं मोटरसाइकिल की उपयोगिता में ह्रास होगा एवं उसे सुपुर्दगी पर दिये जाने पर विचारण पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इसलिये प्रकरण के विचारण के दौरान आवेदक उसका उचित अभिरक्षा का पात्र प्रतीत होता है।

अतः बाद विचार आवेदक सर्वेश्वरदयाल द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर

20/2/17
पो सी आर

विशेष न्यायाधीश (उक्त)
मिण्ड (म.प.)

Order Sheet [Contd]

Case No. 127.62 of 20 12.8.16

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक सर्वेश्वरदयाल की ओर से मोटर साइकिल रजि.क्र.-एम.पी.-30 एम.ई.-3079 प्राप्त करने हेतु <u>पचास हजार रुपये</u> का सुपुर्दगीनामा निम्न शर्तों के अधीन पेश किया जावे तो उसे उक्त मोटर साइकिल आवेदक सर्वेश्वरदयाल को सुपुर्दगी पर दी जावे:-</p> <ol style="list-style-type: none">1- वह मोटर साइकिल के मूल स्वरूप, रंग रोगन में परिवर्तन नहीं करेगा।2- मोटर साइकिल का रहन व्ययनन नहीं करेगा।3- न्यायालय में आवश्यकता होने पर स्वयं के व्यय पर पेश करेगा।4- किसी प्रकार के अपराध में प्रयोग नहीं करेगा। <p>मूल रजिस्ट्रेशन वापिस हों। आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न हो। परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p>(पी०सी० आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती, गोहद</p>	